आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति अपीलवाद सं0–04/2024

संतोष कुमार...अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य...विपक्षीगण

आदेश

15.03.2024

प्रस्तुत आपूर्ति अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 11230/2019 में दिनांक 15.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः–

"The present writ petition is disposed off with a direction to the petitioner to approach the Divisional Commissioner ventilating his grievance.

On such representation being made, the Divisional Commissioner shall consider the same on its own merit duly putting all the parties on notice and then passing a reasoned order.

The entire exercise shall be completed within a period of four weeks from the date of the receipt of the copy of the complaint by the Divisional Commissioner.

It is needless to mention that before passing any order, the Divisional Commissioner shall give an opportunity of hearing to the parties. Any order passed, shall be communicated to the parties. "

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि अपीलकर्त्ता संतोष कुमार के पिता स्व0 उमाकान्त सिंह, ग्राम–सुपौली, थाना–सिधवलिया, जिला–गोपालगंज के जन वितरण प्रणाली विक्रेता रहे थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 04.07.2015 को हो गयी। पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलकर्त्ता द्वारा अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस क्रम में जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति), गोपालगंज द्वारा दिनांक 12.04.2018 की कार्यवाही में अपीलकर्त्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(V) के आलोक में अपीलकर्त्ता मैट्रिक पास नहीं है और न ही कम्प्यूटर योग्यता रखते है। तत्पश्चात अपीलकर्त्ता की माता–धाना देवी, पति–स्व0 उमाकान्त सिंह द्वारा जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, अनुकंपा आधारित चयन समिति के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि स्व0 उमाकान्त सिंह के सबसे छोटे पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार सिंह, जो मैट्रिक पास है और कम्प्यूटर ज्ञान भी रखते है, उन्हें अनुकंपा के आधार पर पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। उक्त आवेदन को जिला आपूर्ति शाखा, गोपालगंज के पत्रांक–929, दिनांक 22.11.2020 द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनका आवेदन कालबाधित है। तत्पश्चात विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3726, दिनांक 08.09.2021 एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–817/आ0, दिनांक 29.10.

Scanned with CamScanner

2021 के द्वारा श्रीमती धाना देवी पति–स्व0 उमाकान्त सिंह का उपलब्ध कराए गए आवेदन के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष विविध अपील सं0–13/21, धाना देवी बनाम बिहार सरकार वो0 संस्थित कर वाद की सुनवाई प्रारंभ की गयी। वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश में आवेदिका के आवेदन को खारिज कर दिया गया। उक्त से विक्षुब्ध होकर अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 11230/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 15.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि अपीलकर्त्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 04.07.2015 को हो गयी थी, जिसके पश्चात अपीलकर्त्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुकंपा के आधार पर पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, परंतु उक्त के संबंध में ससमय कोई निर्णय नहीं लिया गया। दिनांक 12.04.2018 को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक में अपीलकर्त्ता के आवेदन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि **बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(V)** प्रावधानों के अनुरूप अपीलकर्त्ता के पास मैट्रिक प्रमाण–पत्र नहीं है और न ही उनके पास कम्प्यूटर योग्यता है।

4. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि मृत पी0डी0एस0 अनुज्ञप्तिधारक स्व0 उमाकान्त सिंह अपने पीछे छः पुत्र क्रमशः 1. बृजकिशोर, 2. प्रमाद सिंह, 3. संतोष कुमार, 4. संजीत सिंह, 5. कौशल किशोर सिंह एवं 6. विजेन्द्र कुमार सिंह तथा पत्नी धाना देवी को छोड़ गए हैं। स्व0 उमाकान्त सिंह के सबसे छोटे पुत्र विजेन्द्र सिंह जो मैट्रिक पास है तथा कप्यूटर योग्यता रखते है, द्वारा अनुकम्पा के आधार पर पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। परंतु उक्त आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनका आवेदन कालबाधित है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि इस क्रम में अपीलकर्त्ता की माता श्रीमती–धाना देवी पति–स्व0 उमाकान्त सिंह द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता के समक्ष अनुज्ञप्ति (आपूर्ति) हेतु विविध अपील सं0–13/21 भी दायर किया गया था जिसपर समुचित रूप से विचार किए बिना उसे खारिज कर दिया गया है।

5. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि स्व0 उमाकान्त सिंह कि मृत्यु दिनांक 04.07.2015 के पश्चात अपीलकर्त्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर अनुकंपा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, और उस समय तक बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 लागू नहीं था और न ही इस अधिनियम का कोई भूतलक्षी प्रभाव ही है। उनके द्वारा दिनांक 15.03.2017 को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न

Scanned with CamScanner

जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक की प्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता को भी अनुकम्पा का लाभ दिए जाने का दावा प्रस्तुत किया गया है।

इस क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.01.2024 को प्रस्तुत Interlocutory petion के आधार पर अनुरोध किया गया कि या तो अपीलकर्त्ता अथवा उनके छोटे भाई विजेन्द्र कुमार के पक्ष में अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए बताया गया कि अपीलकर्त्ता के पिता स्व0 उमाकान्त सिंह, ग्राम-सुपौली, प्रखंड-सिधवालिया की मृत्यु दिनांक 04.07.2015 को हुई थी, जिनके नाम से पूर्व में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत था। स्व0 उमाकान्त सिंह अपने पीछे छः पुत्र एवं पत्नी धाना देवी को छोड़ गए। उनके परिवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी अथवा गैरसरकारी सेवा में नहीं है। स्व0 उमाकान्त सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र एवं अपीलकर्त्ता श्री संतोष कुमार द्वारा दिनांक 06.08.2015 को अनुकम्पा से संबंधित आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराया गया। इस क्रम में अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की तिथि दिनांक 18.02.2016, दिनांक 02.03.2016, दिनांक 13.06.2016 एवं दिनांक 11.07.2016 को निर्धारित किया गया था परंतु बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-4631 दिनांक 28.03.2016 द्वारा *C.W.J.C. No. 4453/2016 हनुमान प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया* मामलें में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेश के आलोक में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति वितरण पर रोक लगा दी गयी थी। इस क्रम में विभागीय पत्रांक-1222, दिनांक 08.03.2017 द्वारा रोक हटाए जाने के पश्चात नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति वितरण हेतु दिनांक 27.11.2017 को बैठक का निर्धारण किया गया, जिसमें अपीलकर्ता सहित छः आवेदकों के उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता के संबंध विभागीय मार्गदर्शन की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक-1731, दिनांक 05.04.2018 द्वारा निदेशित किया गया है कि 14 मार्च 2016 के पूर्व जो भी अनुकम्पा के आधार पर आवेदन प्राप्त हुए है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, उसे बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9(v) के अनुसार किया जायेगा। उनके द्वारा आगे बताया गया कि अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 15.03.2017 को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक का कार्यवाही प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अवलोकन में यह पाया गया है कि उक्त वाद में पिता के निधन के पश्चात वादी द्वारा वैधानिक अवधि के अन्दर अनुकम्पा का आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा अनुकम्पा के समय वादी वांछित अर्हता रखते थे। जिसके आधार पर ही उनके पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है। परंतु प्रस्तुत मामलें में विधि विभाग द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व समर्पित

Scanned with CamScanner

आवेदन पर भी बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियमों के अन्तर्गत ही पी0डी0एस0 दुकान के आवंटन की सलाह दी गयी है।

उक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता संतोष कुमार, पिता-स्व0 उमाकान्त सिंह के आवेदन को शैक्षणिक योग्यता के कारण अस्वीकृत किया गया है। इस क्रम में उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 19.01.2024 को अपीलकर्त्ता द्वारा C.W.J.C. No. 11230/2019 में I.A. No. .../2021 के आधार पर प्रस्तुत Interlocutory petition में अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त स्थिति के आलोक में या तो अपीलकर्त्ता अथवा उनके छोटे भाई विजेन्द्र कुमार सिंह, पिता-स्व0 उमाकान्त सिंह के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाए।

8. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं जिला स्तरीय चयन समिति के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। उक्त के अवलोकन में निम्नांकित बिन्दु प्रकाश में आते हैः-

(i) अपीलकर्त्ता श्री संतोष कुमार द्वारा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात निर्धारित अवधि के अन्दर अनुकम्पा आधारित पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(ii) अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1731, दिनांक 05.04.2018 द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए परामर्श के अवलोकन में वर्ष 2016 के पूर्व समर्पित आवेदन पर भी बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियमों के अन्तर्गत ही उचित मूल्य के दूकान के आवंटन की सलाह दी गयी है।

(iii) जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारक स्व0 उमाकान्त सिंह की मृत्यु दिनांक 04.07.2015 को हो गयी थी, तत्पश्चात उनके पुत्र संतोष कुमार द्वारा दिनांक 06.08.2015 को अनुकम्पा हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु निम्नांकित तिथियों को बैठक का आयोजन प्रस्तावित किया गया थाः-

दिनांक	18.02.2016	-	बैठक स्थगित
दिनांक	02.03.2016	-	,,
दिनांक	13.06.2016	-	,,
दिनांक	11.07.2016	-	,,
दिनांक	27.11.2017	-	विभाग से मार्गदर्शन की मांग
दिनांक	12.04.2018	-	अपीलकर्त्ता का आवेदन अस्वीकृत

स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा अनुकम्पा का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु उक्त आवेदन पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया

Scanned with CamScanner

गया। यदि प्रथम बैठक में ही उनके आवेदन पर निर्णय ले लिया जाता तो अस्वीकृति की स्थिति में उनके छोटे भाई श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह पिता–स्व0 उमाकान्त सिंह को ससमय आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता। अपीलकर्त्ता द्वारा ससमय प्रस्तुत आवेदन पर तत्समय कोई निर्णय न लेकर लगभग तीन साल बाद उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, तत्पश्चात उनके छोटे भाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन को कालबाधित बताते हुए खारिज कर दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात निर्धारित अवधि के अन्दर अनुकम्पा हेतु विधिवत रूप से आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता के आवेदन पर निर्णय लेने में हुए विलंब में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा वाद में प्रस्तुत दावा पर विचार किया जाना ही समुचित प्रतीत होता है।

उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक याचिका–सह–Interlocutory petition में किए गए अनुरोध के आलोक में अपीलकर्त्ता के छोटे भाई श्री बिजेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 उमाकान्त सिंह के आवेदन को विधिवत रूप से प्रस्तुत मानकर उसपर विचार किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

तदनुसार उपर्युक्त बिन्दु के आलोक में प्रस्तुत वाद जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति), गोपालगंज को निर्णय लेने हेतु वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner